दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/567
दिनांक : 19.11.2026

Plexconcil/ COA के सभी सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: 1) भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (भारत-NZ FTA) - इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (CoO) जारी करना - DGFT TN नंबर 34/26-27 13.11.2026

2) प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 2.88 और विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2बी में संशोधन - डीजीएफटी पीएन संख्या 40/2026-27 दिनांक 13.11.2026।

1) हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (इंडिया-NZ FTA) 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हो रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत न्यूज़ीलैंड को एक्सपोर्ट के लिए प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन जारी करने की सुविधा ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म (www.trade.gov.in) पर उपलब्ध करा दी गई है। यह इंडियन एक्सपोर्ट के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (eCoO) के एप्लीकेशन और जारी करने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर काम करता है।

इंडिया-NZ FTA के सहमत नियमों के अनुसार, ऑथराइज़्ड जारी करने वाली एजेंसियों के ज़रिए eCoO जारी करने की सुविधा ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म पर "सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन" सर्विस के तहत उपलब्ध है।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे नीचे दी गई जानकारी देखने के लिए ऑफिशियल ट्रेड नोटिस देखें:

· क्रमांक 3 - अधिकृत एजेंसी द्वारा भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के लिए तरजीही eCoO जारी करने के संबंध में

· क्रमांक 4 - सभी आईईसी धारकों और संबंधित उपयोगकर्ताओं/आवेदकों द्वारा सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है।

इसके अलावा, ट्रेड नोटिस में वेरिफिकेशन मैकेनिज्म और सपोर्ट चैनल्स के बारे में जानकारी दी गई है।

ऑफिशियल ट्रेड नोटिस यहां से डाउनलोड करें: https://membership.plasticse pc.org/mails_images/2026111602 2043.pdf

2) इसके अलावा, ऊपर बताया गया पब्लिक नोटिस, साइन किए गए इंडिया-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर, 2023 के पैरा 2.88 और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2023 के अपेंडिक्स 2B में नीचे दिए गए बदलावों के बारे में जारी किया गया है:

(A) हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर्स 2023 के पैरा 2.88 (a) के तहत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) की मौजूदा लिस्ट के बाद सीरियल नंबर xvii के साथ एक नई एंट्री डाली गई है, जो इस तरह है:

"xvii. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (भारत-न्यूजीलैंड एफटीए)"

(B) भारत-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रेफ़रेंशियल सर्टिफ़िकेट ऑफ़ ओरिजिन जारी करने की इजाज़त वाली ऑथराइज़्ड एजेंसियों की लिस्ट अपेंडिक्स-2B में शामिल की गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए CoO जारी करने वाली ऑथराइज़्ड एजेंसियों की लिस्ट के लिए ऑफ़िशियल पब्लिक नोटिस देखें।

ऑफिशियल पब्लिक नोटिस यहां से डाउनलोड करें: https://membership.plasticsep c.org/mails_images/20261116030 452.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल